17.03.2026

छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2026 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2026 (फाल्गुन 27, 1947)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिये) पटल पर रखेंगे।

(2) श्री ओ. पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–25 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री विक्रम उसेण्डी, सदस्य, वनमण्डल भानुप्रतापपुर अंतर्गत अवैध पेड़ कटाई एवं ग्रामीण मार्ग में हैवी माईन्स गाड़ियों के परिचालन के संबंध में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, छत्तीसगढ़ प्रदेश के तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनियमितता किये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य, मोहला मानपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) खेल अकादमी खोलने,

(ii) ग्राम घोड़ागांव नदी में स्टापडेम निर्माण करने,

(iii) ग्राम झलकापारा, बाजोपारा–बीचपारा सिवनी तक पुल–पुलिया सहित सड़क निर्माण करने

(2) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, बेलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम लोफंदी के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम चिंगराजपारा के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(iii) ग्राम सेलर के उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने,

क्रमशः 2

(3) श्री रिकेश सेन, सदस्य, जनपद पंचायत तखतपुर अंतर्गत ग्राम चोरभट्ठीकला में बल्दीपारा से बेलटुकरी तक पक्की सड़क निर्माण करने,

(4) श्री मोतीलाल साहू, सदस्य, रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गोगांव में तीनतरिया तालाब का सौंदर्यीकरण करने,

(5) श्री भूलन सिंह मराबी, सदस्य, प्रेम नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम बिशुनपुर में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम भरूहामुड़ा में पक्की सड़क निर्माण करने तथा

(iii) ग्राम सेन्दुरी में पुलिया निर्माण करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक,2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक,2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

निर्धारित समय सायं 5 बजे तक (3) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–1) विधेयक, 2026 (क्रमांक 1 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (4) श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 2 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (5) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (6) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 17 मार्च, 2026